न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः	--	श्याम कुमार व्यास, **जिला न्यायाधीश संवर्ग**
सेशन प्रकरण सं.	--	13/2018
सी.आई.एस. नं.	--	20/2018
CNR No.	--	RJSG150005532018

राजस्थान राज्य बनाम

बनाम

1. मंगत सिंह पुत्र श्री प्यारासिंह उम्र 62 साल, निवासी 74 एलएनपी, पुलिस थाना घमूड़वाली, जिला श्रीगंगानगर।
2. मनजीत कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह, उम्र 46 साल, निवासी 74 एलएनपी, पुलिस थाना घमूड़वाली, जिला श्रीगंगानगर।

–अभियुक्तगण

302,364,201,201 बी भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः–

1. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री मनोज बिश्नोई, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 17.03.2026**

1. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 22.06.2018 को प्रार्थी जसवीर सिंह ने पुलिस थाना घमूड़वाली में इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि वह 13 एमएल हाल नगराना तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ का रहने वाला है, उसका बड़ा भाई बलजीत सिंह विकलांग था जो कि उसकी बहिन हरजिन्द्र कौर पत्नी श्री मंगत सिंह निवासी 74 एलएनपी के पास सात–आठ सालों से रहता था। बलजीत सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर के उसके बहनोई मंगत सिंह के साथ नाजायज संबंध थे। मंगत सिंह व मनजीत कौर करीब सात–आठ सालों से इकटठे मोहनगढ की तरफ रह रहे थे। बलजीत सिंह के तीन लड़कियां व एक लड़का है। मनप्रीत कौर को उसका भाई बलजीत सिंह कई बार फोन पर समझाता था कि तू अब घर आ जा मगर वह नहीं मानती थी ना ही मंगत सिंह उसे आने देता था। दिनांक 26.05.2018 को बलजीत सिंह उसकी बहन हरजिन्द्र कौर को गंगानगर जाने का कहकर गया था जो कि वापस नहीं आया था। उसने व उसके रिश्तेदार जोगासिंह, निवसी चूनावढ व अन्य रिश्तेदारों ने उसके भाई की काफी तलाशी की मगर नहीं मिला। अब उसे पता चला है कि उसके भाई बलजीत सिंह को उसकी पत्नी मनजीत कौर ने फोन

करके मारने की नियत से श्रीगंगानगर बुलाया था वहां से मनजीत कौर व मंगत सिंह उसके भाई बलजीत सिंह को जबरदस्ती मोहनगढ की तरफ ले गए थे और उसके भाई को मारकर उसकी लाश को कहीं खुर्द बुर्द कर दिया है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके भाई बलजीत सिंह को मारने की नियत से उसकी भाभी मनजीत कौर व उसके जीजा मंगत सिंह ने बहला फुसला कर षडयंत्र रचकर पहले श्रीगंगानगर बुलाया वहां से जबरदस्ती कहीं ले जाकर हत्या कर दी है व उसकी लाश खुर्द बुर्द कर दी है, आदि-आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिसथाना घमूड़वाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 97/2018, अपराध अन्तर्गत धारा 364,120बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात अभियुक्तगण मंगत सिंह व मनजीत कौर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 302,364,365,201,201बी भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रसंज्ञान लेने के पश्चात प्रकरण को इस न्यायालय में अभ्यर्पित (Commit) किया, जिस पर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 302,364,201,201बी भारतीय दंड संहिता के आरोप अलग से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो मुलजिम ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी.ड.1 जसवीर सिंह, पी.ड.2 डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पी.ड. 3 जोगासिंह, पी.ड. 4 दर्शनसिंह, पी.ड. 5 सिमरजीत कौर, पी.ड. 6 आदूराम, पी.ड. 7 चिमनाराम भाटी, पी.ड. 8 राकेश, पी.ड. 9 देवेन्द्र सिंह पी.ड. 10 डॉक्टर अमित चौधरी, पी.ड. 11 अमीलाल, पी.ड. 12 विष्णु कुमार, पी.ड. 13 नेकीराम, पी.ड. 14 दर्शन सिंह, पी.ड. 15 प्रमोद कुमार, पी.ड. 16 गोरधन सिंह, पी.ड. 17 मदन लाल व पी.ड. 18 अशोक कुमार के सशपथ कथन लेखबद्व करवाये गये।

4. दस्तावेजी साक्ष्य में दरख्वास्त प्रदर्श पी 1, एफआईआर प्रदर्श पी 2,फर्द बरामदगी लाश मृतक बलजीत सिंह प्रदर्श पी 3, फर्द सूरत हाल लाश मृतक बलजीत सिंह प्रदर्श पी 4, फर्द पंचायतनामा मृतक बलजीत सिंह प्रदर्श पी 5, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक बलजीत सिंह प्रदर्श पी 6, नक्शा बरामदगीस्थल लाश मृतक बलजीत सिंह प्रदर्श पी 7, हालात नक्शा मौका बरामदगी स्थल लाश मृतक बलजीत सिंह प्रदर्श पी 7ए, फर्द बरामदगी जले हुए मोबाइल के अवशेष अभियुक्त मंगत सिंह प्रदर्श पी 8, हालात नक्शा मौका

बरामदगी स्थल जले हुए मोबाइल के अवशेष अभियुक्त मंगत सिंह प्रदर्श पी 9, हालात नक्शा मौका बरामदगी स्थल जले हुए मोबाइल के अवशेष अभियुक्त मंगत सिंह प्रदर्श पी 9ए, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 10, हालात मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 10ए, पुलिस थाना घमूडवाली द्वारा एसएमओ जैसलमेर को पोस्टमोर्टम के लिए लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 11, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 12, फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रदर्श पी 13, घटनास्थल संबंधी फोटोग्राफस प्रदर्श पी 14 ता 23, चक 11 बीएलएम पटवार मंडल सुथारवाला बी के मुरब्बा नम्बर 110/61 के 25 बीघा की गिरदावरी, नक्शा और नामांतरण की नकल प्रदर्श पी 24 ता 26, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 27,मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्शपी 28 व 28ए, पुलिस थाना घमूडवाली द्वारा पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को अग्रेषणपत्र जाने करवाने बाबत तहरीर प्रदर्शपी 29, पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा उप निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर को भेजे गए प्रादर्श हेतु पत्र प्रदर्श पी 30,प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 31, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी अभियुक्त मंगत सिंह प्रदर्श पी 32, फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी अभियुक्ता मनजीत कौर प्रदर्श पी 33, जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर द्वारा नायब तहसीलदार जैसलमेर को भेजा गया पत्र प्रदर्श पी 34, फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त मंगत सिंह प्रदर्श पी 35, फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त मनजीत कौर प्रदर्श पी 36, फर्द इतिला मोबाइल मृतक बलजीत सिंह अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनिम अभियुकत मंगत सिंह सिंह प्रदर्श पी 37, थानाधिकारी पुलिस थाना घमूडवाली द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 38, थानाधिकारी पुलिस थाना घमूडवाली द्वारा नायब तहसीलदार उप तहसील मोहनगढ जिला जैसलमेर को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 39, रोजनामचा प्रदर्श पी 40 ता 43, मृत्यु प्रमाण पत्र संतोख सिंह प्रदर्श पी 44, मृत्यु प्रमाण पत्र सरजीत कौर प्रदर्श पी 45, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा निदेश राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को प्रादर्शो बाबत लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 46 ता 48, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 49,रोजनामचा प्रदर्श पी 50 ता 55, Idea Cellular Limited का सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 56, कॉल डिटेल प्रदर्श पी 57, प्रीपेड ग्राहक EKYC एप्लीकेशन प्रदर्श पी 58, airtel कम्पनी का सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 59, कैफ प्रदर्श पी 60, मोबाइल नम्बर 96600-76326 की सीडीआर प्रदर्श पी 61, मोबाइल नम्बर 80030-49947 की सीडीआर प्रदर्श पी 62, चिट दस्तखती की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 63 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया

गया। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए वे बलजीत सिंह को ना ही लेकर जाने, ना ही उनके द्वारा लाश व अन्य सामान की कोई बरामदगी करवाने व पुलिस ने झूठी फर्दात तैयार करके उन्हें झूठा फंसाया गया है, के कथन किए हैं। अभियुक्तगण को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर दिनांक 24.1.2025 को बंद किया गया।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न बिन्दू पर विचार करना हैः–

1. क्या दिनांक 26.05.2018 को रिडमलसर से शाम के किसी समय बलजीत सिंह का जबरदस्ती अपहरण कर दिनांक 27.05.2028 को रात्रि के किसी समय मोहनगढ में बलजीत सिंह का साशय गला दबाकर मृत्यु कारित करने तथा बलजीत सिंह के शव को गडढा खोदकर दबाने तथा दिनांक 26.05.2018 से 27.05.2018 को आपसी सहमति द्वारा बलजीत सिंह की हत्या कारित करने के इकरार कर उस आपसी सहमति के अनुसरण में बलजीत सिंह की गला दबाकर हत्या कारित की ?

7. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में बहस अंतिम सुनी गई।

8. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि मृतक बलजीत सिंह की पत्नी अभियुक्ता मनजीत कौर का मृतक के बहनोई अभियुक्त मंगतसिंह के साथ अवैध संबंध थे। मंगत सिंह और मनजीत कौर करीब 7–8 सालों से इकटठे मृतक बलजीत सिंह से अलग मोहनगढ में रह रहे थे। बलजीत सिंह अपनी पत्नी अभियुक्ता मनजीत कौर को साथ रहने के लिए समझाता था, जिससे रंजिशवश अभियुक्तगण ने दिनांक 26.05.2018 को बलजीतसिंह को फोन कर श्रीगंगानगर ले गए। अभियुक्तगण द्वारा मृतक को जबरदस्ती ले जाते हुए गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह ने भी देखा था। दोनों अभियुक्तगण ने दिनांक 27.05.2018 को गवाह पी.ड. 5 सिमरजीत कौर के घर गए और स्वयं के द्वारा बलजीत सिंह को मार दिए जाने की गलती को स्वीकार किया। अभियुक्तगण द्वारा दी गई इतिला के अनुसरण में अभियुक्तगण की निशानदेही से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा नायब तहसीलदार गवाह पी.ड. 16 गोरधन व अन्य के समक्ष मृतक की लाश खडडा खोदकर बरामद की गई, जो पूरी तरीके से सड़ी गली अवस्था में थी। लाश की डीएनए जांच के साथ लाश मृतक बलजीतसिंह की होना पाई गई। उपरोक्त साक्ष्य का कोई तात्विक खंडन अभियुक्तगण की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार

अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 26.05.2018 को रिडमलसर से शाम के किसी समय बलजीत सिंह का जबरदस्ती अपहरण कर दिनांक 27.05.2028 को रात्रि के किसी समय मोहनगढ में बलजीत सिंह का साशय गला दबाकर मृत्यु कारित करने तथा बलजीत सिंह के शव को गडढा खोदकर दबाने तथा दिनांक 26.05.2018 से 27.05.2018 को आपसी सहमति द्वारा बलजीत सिंह की हत्या कारित करने के इकरार कर उस आपसी सहमति के अनुसरण में बलजीत सिंह की गला दबाकर हत्या कारित की।

9. उपरोक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त मंगतसिंह और मनजीत कौर 7-8 सालों से अधिक समय से इकटठे मोहनगढ में बतौर पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। मृतक बलजीत कौर अपनी बहन हरजिन्द्र कौर के साथ रहता था। उसे अपनी पत्नी के नाजायज संबंधों से कभी कोई शिकायत नहीं रही। अभियुक्तगण के पास मृतक बलजीतसिंह की हत्या किए जाने का कोई हेतुक (Motiv) नहीं था। अभियुकतगण को झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के लापता होने के करीब 1 महीने बाद दर्ज करवाई गई है। इतने विलम्ब से दर्ज करवाए जाने का कोई समाधानप्रद कारण अभियोजन पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से किसी प्रकार के कोई हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। यद्यपि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मृतक बलजीत सिंह के मोबाइल नम्बर की प्रमाणित सीडीआर प्रदर्श पी 57 व कैफ प्रदर्श पी 58 अवश्य पेश की गई है, परंतु अभियुक्तगण के कब्जे से न तो कोई मोबाइल बरामद किये गए है और ना ही उनके नाम से कोई कैफ आईडी प्रस्तुत की गई हैं। कथित कैफ प्रदर्श पी 60 अभियुक्तगण के नाम से नहीं है। इस प्रकार यह साबित नहीं होता है कि घटना के वक्त मृतक और अभियुक्तगण के बीच आपस में कोई बातचीत हुई हो और दोनों घटनास्थल पर एक साथ रह रहे हो। इसके अलावा अभियोजन गवाहान के कथनों में पारस्परिक विरोधाभास भी प्रकट हुआ है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 26.05.2018 को रिडमलसर से शाम के किसी समय बलजीत सिंह का जबरदस्ती अपहरण कर दिनांक 27.05.2028 को रात्रि के किसी समय मोहनगढ में बलजीत सिंह का साशय गला दबाकर मृत्यु कारित करने तथा बलजीत सिंह के शव को गडढा खोदकर दबाने तथा दिनांक 26.05.2018 से 27.05.2018 को आपसी सहमति द्वारा बलजीत सिंह की हत्या कारित करने के इकरार कर उस आपसी सहमति के अनुसरण में बलजीत सिंह की गला दबाकर हत्या कारित की।

10. उपरोक्त बहस के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

11. इस संबंध में गवाह पी.ड. 1 जसवीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि उसका बड़ा भाई बलजीत सिंह विकलांग था। उसकी शादी मनजीत कौर के साथ हुई थी। बलजीतसिंह की पत्नी मनजीत कौर का उनके बहनोई मंगतसिंह के साथ नाजायज संबंध थे, जो करीब 7-8 साल से इकटठे मोहनगढ की तरफ रह रहे थे। बलजीत सिंह मनजीत कौर को घर में साथ रहने के लिए समझाता था, परंतु वह नहीं मानती थी। दिनांक 26.05.2018 को बहन हरजिन्द्र कौर के पास बलजीत सिंह का फोन आया कि वह श्रीगंगानगर जा रहा है। उसके बाद वह वापस नहीं आया। उसकी तलाश की वह नहीं मिला। फिर उन्हें विश्वास हो गया कि उसके भाई बलजीत सिंह को जान से मारने की नियत से उसकी भाभी मनजीत कौर ने बहला-फुसला कर उसे श्रीगंगानगर बुलाया और वहां से जरबदस्ती कहीं ले जाकर उसकी हत्या कर लाश खुर्द बुर्द कर दी। उसने थाने में दरख्वास्त प्रदर्श पी 1, एफआईआर संख्या 97/2018 प्रदर्श पी 2, मृतक बलजीत सिंह की लाश बरामद प्रदर्श पी 3, फर्द सूरत लाश प्रदर्श पी 4, पंचनामा प्रदर्श पी 5, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 6, नक्शा मौका बरामदगी स्थल लाश प्रदर्श पी 7, घटनास्थल से जले हुए मोबाइल के अवशेषों की बरामदगी प्रदर्श पी 8, नक्शा मौका मोबाइल अवशेष की बरामदगी प्रदर्श पी 9, नक्शा मौका घटनास्थल मृतक बलजीत सिंह का उसकी पत्नी मनजीत कौर के द्वारा ले जाना प्रदर्श पी 10 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मनजीत कौर मंगतसिंह 7-8 सल से मोहनगढ में रह रहे थे। बलजीतसिंह बहन के साथ रहता था। मनजीत कौर व मंगतसिंह दोनों राजीखुशी एक साथ रहते थे। बलजीतसिंह ने मनजीत सिंह व मंगतसिंह के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। बलजीतसिंह श्रीगंगानगर जाने से पहले बहन को सिर्फ श्रीगंगानगर जाने का कहकर ही गया था, अन्य कोई बात नहीं बताई। बलजीत सिंह के घर वापस न आने के 4-5 दिन तक उन्होंने पुलिस में कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। बलजीतसिंह के घर से चले जाने के बाद मंगतसिंह व मनजीत कौर को उन्होंने कोई फोन नहीं किया। बलजीतसिंह को मनजीतसिंह के द्वारा फोन करके जान से मारने की नियत से श्रीगंगानगर बुलाए जाने की बात उसे किस से पता चली उसे पता नहीं हैं गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसने मंगतसिंह के कहने से लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखाते समय मंगतसिंह उनके साथ ही था। पुलिस को दरख्वास्त देने के बाद 15-20 दिन बाद उन्हें

बुलाया था। उस समय तक पुलिस ने अभियुक्तगण को नहीं पकड़ा था। पुलिस ने मौके से एक कस्सी और मोबाइल के अवशेष उनके सामने जब्त किए थे। जब्त करने के बाद पुलिस ने वह सामान मौके पर ही छोड़ दिया था, साथ लेकर नहीं गई थी। इस सुझाव को गलत बताया कि पुलिस ने सारी फर्द थाने में बैठकर तैयार की गई हो।

12. गवाह पी.ड. 2 डॉक्टर धर्मपालसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 24.06.2018 को स्वयं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनगढ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात होना, दिनांक 24.06.2018 को उसके द्वारा डीकम्पोज का पोस्टमार्टम किया जाना, पोस्टमार्टम के मुताबिक मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम् से 4 से 7 सप्ताह के भीतर की होना, मृतक के दांत को बतौर डीएनए सैम्पल तथा लैफ्ट हयूमरस बोन को बतौर आरसेनिक एवं एंटीमनी पोइजन के सैम्पल के तौर पर लिया जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 होना, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 होने का अभिकथन किया है।

13. गवाह पी.डऋ 3 जोगासिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने साले बलजीतसिंह का विकलांग होना, उसकी पत्नी मनजीत कौर का साडू मंगतसिंह के साथ नाजायज संबंध होना, उनका 7–8 साल से मोहनगढ में रहना, "बलजीतसिंह के द्वारा मंगतसिंह के साथ रहने बाबत कभी मनजीत कौर को नहीं रोकना" करीब डेढ साल पहले मनजीतकौर के द्वारा बलजीतसिंह को फोन कर रिडमलसर बुलाया जाना और उसे सामान लेकर आने के लिए मोहनगढ ले जाने, रिडमलसर में मनजीत कौर व बलजीतकौर बस में बैठकर 32 एमएल चले जाना, वहां से सुथार मंडी वाली बस में बैठ जाना, 20–25 दिन तक बलजीतसिंह को ढूंढने पर नहीं मिलना, मंगतसिंह का फोन बंद होना, मंगतसिंह का कहना कि ऐसा आदमी का कांटा निकालना ही ठीक है। फिर उसके द्वारा बलजीतसिंह का पीछा करना, मंगतसिंह व मनजीत कौर के द्वारा मिलकर बलजीतसिंह को मार दिया जाना और लाश को खुर्द बुर्द कर दिया जाना, पुलिस द्वारा उसके समक्ष अजय बिश्नोई के खेत से खडडा खोदकर लाश बरामद करना, फर्द बरामदगी लाश प्रदर्श पी 3, फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श पी 4, पंचनामा प्रदर्श पी 5, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 6, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7, जले हुए मोबाइल के अवशेषों की बरामदगी प्रदर्श पी 8, नक्शा मौका बरामदगी स्थल जले हुए मोबाइल के अवशेष प्रदर्श पी9, दर्शनसिंह की निशानदेही से बनाया गया घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में कथन किया कि बलजीतसिंह ने मंगतसिंह व मनजीतसिंह के साथ रहने बाबत कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। बलजीतसिंह के घर से चले जाने के बाद

उसका फोन करीब 11 साढे 11 बजे उसकी पत्नी के पास आया था। बलजीतसिंह के गुमशुदा होने के 4–5 दिन बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जसवीर सिंह ने दर्ज करवाई थी।

14. गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतक बलजीतसिंह उसके मामा का लडका भाई था, जो अपनी बहन हरजिन्द्र कौर के साथ रह रहा था। बलजीतसिंह की पत्नी मनजीतकौर अपने ननदोई मंगतसिंह के साथ नाजायज संबंध में करीब 7–8 सालों से रह रही थी। बलजीतसिंह ने अपनी पत्नी को समझाया लेकिन वह नहीं मानी। डेढ साल पहले बलजीतसिंह ने उसे रिडमलसर बुलाया और बताया कि मनजीतकौर उसे जबरदस्ती ले जा रही है। वह रिडमलसर पहुंचा तो मनजीतकौर ने बताया कि मोहनगढ से सामान लेने जाना है। मनजीतकौर बस में चढकर बलजीतसिंह केसाथ मोहनगढ चली गई। फिर उसे पता चला कि मनजीत कौर द्वारा मंगतसिंह ने मिलकर उसके भाई का कत्ल कर दिया है और लाश को खुर्द बुर्द कर दिया है।

जिरह में कथन किया कि मनजीत कौर के द्वारा बलजीतसिंह को जबरदस्ती ले जाने की कोई सूचना उसने पुलिस को नहीं दी। वे बलजीतसिंह की तलाश करने के लिए मोहनगढ नहीं गए।

15. गवाह पी.ड. 5 सिमरजीतकौर ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि उसका भाई बलजीतसिंह विकलांग था, जो बहन हरजिन्द्र कौर के साथ रहता था। भाभी मनजीतकौर का बहनोई मंगतसिंह के साथ नाजयज संबंध थे। मंगतसिंह व मनजीत कौर 8 साल से मोहनगढ में रह रहे थे। दिनांक 27.05.2018 को मंगतसिंह व मनजीत कौर ने घर पर आकर उन्हें बताया कि उन्होंने बलजीत सिंह को मार दिया है और उनसे गलती हो गई है। इस पर उसने अपने पति को पुलिस को फोन करने के लिए कहा तो दोनों घर से भाग गए।

जिरह में कथन किया कि उनके द्वारा मनजीत कौर और मंगतसिंह के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया।

16. गवाह पी.ड. 6 आदराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि करीब साढे 3 साल पहले चक रोही 11 बीएलएम में पुलिस वाले आए थे, साथ में मंगतसिंह व एक महिला भी थी। मंगतसिंह ने खडडा खोदकर लाश निकाली थी। पंचनामा प्रदर्श पी 5 पर उसकी अंगूठा निशानी है।

जिरह में इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने कोई लाश बरामद न की गई हो।

17. गवाह पी.ड. 7 चिमनाराम भाटी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि दिनांक 25.07.2018 को वह पटवार मंडल सुथारवाला बी में पटवारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन तहसीलदार के आदेश पर उसने चक 11 बीएलएम पटवार मंडल सुथारवाला बी के मुरब्बा नम्बर 110/61 के 25 बीघा की गिरदावरी नक्शा और नामांतरण की नकल उसने पुलिस को दी थी, जो प्रदर्श पी 24,25 व 26 है।

18. गवाह पी.ड. 8 राकेश ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि उसकी ढाणी अजय बिश्नोई से दो मुरब्बा की दूरी पर है। अजय बिश्नोई ने अपनी जमीन मंगतसिंह को काश्त करने के लिए दे रखी है। अजय के खेत में मंगतसिंह एवं उसके साथ एक औरत रहती थी। करीब साढे 3 साल पहले पुलिस आई थी। मंगतसिंह ने उसके सामने खडडा खोदकर लाश निकाली थी। पंचनामा प्रदर्श पी 5 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

19. गवाह पी.ड 9 देवेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि करीब 4 साल पहले घमूडवाली थाने में कानि प्रमोद कुमार एफसी ने उसे कैमरे में से फोटोग्राफस धुलवाकर प्रिंट निकालने के लिए कहा तो उसने उक्त कैमरे में से 10 फोटोग्राफस धुलवाकर प्रिंट निकालकर प्रमोद कुमार एफसी को सुपर्द कर दिए जो प्रदर्श पी 14 से प्रदर्श पी 23 है।

20. गवाह पी.ड. 10 डॉक्टर अमित चौधरी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है कि दिनांक 20-08-2018 को उसने पुलिस थाना घमूडवाली के निवेदन पर मृतक के भाई जसवीर सिंह और बहन समरजीत कौर का ब्लड सैम्पल लिया था, जिसे टयूब सील करके पुलिस थाने में दे दिया था, जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 27 है।

21. गवाह पी.ड. 11 अमीलाल ने अपने मुख्य परीक्षणमें स्वयं को दिनांक 25-06-2018 को मालखाना प्रभारी होना बताते हुए तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा एफआईआर संख्या 97/22-06-2018 में बरामदशुदा माल वजह सबूत का एक पैकेट मार्क ए उसे सौंपना, जिसे मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 28 के क्रमांक 277/71 में दर्ज करना, वजह सबूत मार्क ए को ए से बी भाग में दर्ज करना, दिनांक 28-06-2018 को कुलदीप सिंह एफसी के द्वारा वजह सबूत मार्क ए व बी सील शुदा पैकेट उसे सौंपना, जिन्हें प्रदर्श पी 28 के सी से डी भाग में उपक्रमांक 2 व 3 के रूप में शामिल करना, दिनांक 20-08-2018 को 2 ब्लड सैम्पल मार्क बी व सी को प्रदर्श पी 28 के क्रमांक 277/71 के उपक्रमांक 4 व 5 पर ई से एफ भाग में दर्ज करना, दिनांक 24-08-2018 को उपक्रमांक 6 व 7 पर जी से एच भाग पर दर्ज करना, दिनांक 28-07-2018 को नेकीराम एफसी

वजह सबूत सील्ड शुदा मार्क बी प्लास्टिक जार के संबंध में अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए एसपी कार्यालय के लिए रवाना करना, जिसके अंकन मालखाना रजिस्टर के आई से जे भाग में दर्ज करना, के से एल में हस्ताक्षर करना और एम से एन भाग पर नेकीराम के हस्ताक्षर होना, दिनांक 01–08–2018 को नेकीराम के द्वारा वजह सबूत मय अग्रेषण पत्र एफएसएल बीकानेर में जमा करवाकर रसीद उसे सौंपना,जो मालखाना रजिस्टर के ओ से पी भाग में दर्ज करना, के से एल भाग में उसके हस्ताक्षर होना और एम से एन भाग में नेकीराम एफसी को वजह सबूत मार्क ए, बी सी एफएसएल में जमा करवाने के लिए रवाना करना, दिनांक 22.08.2018 को एफएसएल द्वारा एतराज किए जाने के कारण माल वजह सबूत के उक्त पैकेट मार्क ए, बी, सी पुनः उसे सौंपना, मार्क बी व सी को 24 घंटे से अधिक हो जाने के कारण उन्हें नष्ट करना, उसका अंकन रजिस्टर के क्यू से आर भाग में करना, दिनांक 29–08–2018 वजह सबूत मार्क ए,डी,ई मय अग्रेषण पत्र अशोक कुमार एफसी को जमा करवाने के लिए सौंपना, उसका अंकन रजिस्टर के यू से वी भाग में करना, दिनांक 29–08–2018 को अशोक कुमार के द्वारा एफएसएल के एतराज सहित माल वजह सबूत उसे सौंपना, मालखाना रजिस्टर में डब्ल्यू से एक्स स्थान पर जमा करना, दिनांक 29–07–2018 को अशोक कुमार एफसी की पुनः उक्त प्रकरण में वजह सबूत मार्क ए,डी,ई मय कागजात व अग्रेषण पत्र देकर रवाना उसका अंकन वाई से जेड भाग पर करना, अशोक कुमार द्वारा यह वजह सबूत एफएसएल में जमा करवाकर दिनांक 31–08–2018 को रसीद उसे सौंपने का अभिकथन किया है।

जिरह में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 28 पर समय दर्ज नहीं है। यह स्वीकार किया कि जो वजह सबूत उसके पास जमा करवाए गए थे उनके आगे न तो जमा करवाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही जमा करने वाले के हस्ताक्षर है। यह स्वीकार किया कि उसके पास अनुसंधान अधिकारी ने जो वजह सबूत 1,3,4,5,6,7 जमा करवाए थे वो सील बंध हालत में नहीं थे।

22. गवाह पी.ड. 12 विष्णु कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया हैकि दिनांक 31.–08–2018 को थानाधिकारी श्री मदनलाल ने मृतक की लाश की बरामदगी वीडियोग्राफी की सीडी तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर उसने वीडियोग्राफी की सीडी तैयार कर थानाधिकारी को दी थी।

जिरह में स्वीकार किया कि सीडी का बिल पत्रावली में पेश नहीं है।

23. गवाह पी.डच. 13 नेकीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया है

कि दिनांक 31–07–2018 को मालखाना प्रभारी ने उसे वजह सबूत सील्डशुदा जार मार्क बी के साथ कागजात सौंपे और पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जो प्रदर्श पी 29 है। एसपी कार्यालय पहुंचकर उसने सीलशुदा जार मार्क बी सहित सभी कागजात संबंधित एफएसएल प्रभारी को सौंपे, जिसे उसे एसपी महोदय से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर मय माल वजह सबूत सौंपे दिए। अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी 30, एफएसएल बीकानेर की रसीद प्रदर्श पी 31 है।

जिरह में इस सुझाव को गलत बताया कि वह कोई वजह सबूत लेकर एफएसएल शाखा में नहीं गया हो।

24 गवाह पी.ड 14 दर्शन सिंह ने ने अभियुक्तगण मंगतसिंह और मनजीत कौर को अपने समक्ष गिरफतार किए जाने और लाश की सुपुर्दगी किए जाने के संबंध में औपचारिक अभिकथन किया है।

25. गवाह पी.ड. 15 प्रमोद कुमार ने अभियुक्तगण को अपने समक्ष गिरफतार किया जाना और मृतक की लाश को बरामद किए जाने, फोटोग्राफस प्रदर्श् पी 14 से 23 स्वयं के द्वारा खींचे जाने के संबंध में औपचारिक अभिकथन किए है।

26. गवाह पी.ड. 16 गोरधन सिंह ने स्वयं को दिनांक 24–06–2018 को नायब तहसीलदार जैसलमेर के पद पर कार्यरत होना बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/22–06–2018 में मृतक बलजीतसिंह की लाश को निकालने बाबत उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने, कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित होकर कार्यवाही सम्पन्न करवाने का आदेश प्रदर्श पी 34 उसके द्वारा दिए जाने, उस दिन समय 4 पीएम पर पुलिस के साथ खेत अजय बिश्नोई रोही 11 बीएलएम में अभियुक्त मंगतसिंह की इतिला के अनुसरण में अभियुक्त द्वारा खडडा खोदकर लाश निकालना, जिसकी पहचान जसवीर सिंह द्वारा अपने भाई के रूप में करना, कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाना, फर्द बरामदगी लाश प्रदर्श पी 3, फर्द सूरत सैम्पल लाश प्रदर्श पी 4 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होने का अभिकथन किया है।

प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि खेत खुले स्थान है, जहां पर कोई भी आ जा सकता है। कोई भी किसी वस्तु को दबा सकता है। यह स्वीकार किया कि पत्रावली में वीडियो ग्राफी संलग्न नहीं है।

27. गवाह पी.ड. 17 मदनलाल ने दिनांक 22–06–2018 को स्वयं को पुलिस थाना घमूडवाली में थानाधिकारी के पद पर तैनात होना बताते हुए परिवादी जसवीर सिंह के

द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसकेसमक्ष पेश किया जाना, एफआईआर प्रदर्श पी 2 दर्ज किया जाना, अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लिया जाना, अभियुक्तगण को फर्द गिरफतार किया जाना, आरोपी मंगतसिंह की इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 35 होना, आरोपी मनजीत कौर की इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 36 होना, इतिला के मुताबिक दिनांक 24–06–2018 को 4 पीएम पर अभियुक्तगण की निशानदेही से रूबरू मौतबीरान अभियुक्तगण के द्वारा अजय बिश्नोई के खेत में खडडा खोदकर बलजीतसिंह की लाश बरामद करवाया जाना, मौके की कार्यवाही नायब तहसीलदार गोरधनसिंह की मौजूदगी में किया जाना, लाश बरामदगी फर्द प्रदर्श पी 3 होना, फर्द सूरत लाश प्रदर्श पी 4 होना, पंचनामा प्रदर्श पी 5 होना, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी 6 होना, मौके के फोटोग्राफस प्रदर्श 14 से 23 होना, वीडियोग्राफी की सीडी आर्टिकल 1 होना, लाश बरामदगी का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 होना, हालात मौका प्रदर्श पी 7ए होना, आरोपी मंगतराम की धारा 27 की इतिला प्रदर्श पी 37 होना, इतिला के अनुसरण में आरोपी द्वारा मोबाइल के जले हुए टुकडे बरामद करवाया जाना जो फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 8 होना, उसका नक्शा मौका प्रदर्श पी 9 होना, हालात मौका प्रदर्श पी 9ए होना, दर्शनसिंह की निशानदेही से बनाया गया नक्शा प्रदर्श पी 10 होना, हालात मौका प्रदर्श पी 10ए होना, पोस्टमार्टम के लिए दी गई तहरीर प्रदर्श पी 11 होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 होना, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी17 व 27 होना, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 28 होना, पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए वजह सबूत मार्क बी को एफएसएल में जमा करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पत्र क्रमांक 2990 दिनांक 30–07–2018 प्रदर्श पी 29 होना, अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 30 होना, एफएसएल की रसीद प्रदर्श पी 31 होना, मौके पर कार्यवाही करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए जारी पत्र प्रदर्श पी 38 होना, नियुक्ति बाबत आदेश प्रदर्श पी 34 होना, लाश बरामदगी स्थल के राजस्व रिकार्ड बाबत तहसील मोहनगढ को जारी किया गया पत्र प्रदर्श पी 39 होना, जिसके क्रम में बरामदगी की गिरदावरी प्रदर्श पी 36 होना, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 24 होना, नामांतरण राजस्व की प्रति प्रदर्श पी 25 होना, अभियुक्तगण की इतिला तस्दीक हेतु रवानगी व वापसी की रोजनामचा की प्रति प्रदर्श पी 40 व 41 होना, एफएसएल कैरियर नेकीराम की थाने से रवानगी व वापसी रोजनामचा की प्रमाणित प्रति क्रमशः प्रदर्श पी 42 व 43 होना, मृतक बलजीत सिंह के पिता संतोखसिंह व माता सरजीतकौर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 44 व 45 होना डीएनए परीक्षण हेतु जारी

अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 46, 47, 48 होना, एफएसएल जमा होने की रसीद प्रदर्श पी 49 होना, कैरीयर अशोक कुमार की रोजनामचा की प्रति प्रदर्श पी 50 व 55 होना, मृतक बलजीतसिंह के मोबाइल नम्बर 85030–71074 की सीडीआर प्रदर्श पी 57 होना, धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 56, कैफ प्रदर्श पी 58 होना, आरोपी मंगतसिंह के मोबाइल नम्बर 80030–49947 व आरोपी मनजीत कौर के मोबाइल नम्बर 96600–76326 की प्रमाणित सीडीआर कैफ व धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र कम्पनी से प्राप्त करना, धारा 65 बी प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 59 व कैफ प्रदर्शपी 60 होना, मोबाइल नम्बर 96600–76326 की सीडीआर प्रदर्श पी 61 होना, मोबाइल नम्बर 80030–49947 की सीडीआर प्रदर्श पी 62 होना, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया जाना, आर्टिकल 2 में मोबाइल के जले हुए अवशेष निकालना, चिट दस्तखती की कार्बन प्रति प्रदर्शपी 63 होने का अभिकथन किया है।

प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि मृतक बलजीत सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, जो पत्रावली में नहीं है। प्रदर्श पी 1 गुमशुदगी के करीब 20.25 दिन बाद में दर्ज करवाई गई थी, जिस कसिए से खडडा खोदा गया था, वह बरामद नहीं किया गया। यह स्वीकार किया कि उसने जो मोबाइल बरामद किया उसके परीक्षण हेतु एफएसएल में नहीं भिजवाया

28. गवाह पी.ड. 18 अशोक कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 20.08.2018 को स्वयं को पी.एस रायसिंहनगर में कानि के पद पर तैनात होना बताते हुए वजह सबूत मार्क ए,बी,सी को लेकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाना, एफएसएल जयपुर जाना, एफएसएल द्वारा एतराज करने पर वापस थाने में आना, वजह सबूत मालखाना में जमा करवाना, पुनः दिनांक 27–08–2018 को आदेशानुसार वजह सबूत मार्क एडीई लेकर रवाना होकर एसपी कार्यालय में पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाना, एफएसएल जयपुर पहुंचना, एफएसएल के द्वारा पुनः एतराज किया जाना फिर वजह सबूत पुनः मालखाना में जमा करवाना, दिनांक 29–08–2018 को पुनःवजन सबूत एईडी लेकर रवाना एसपी कार्यालय में पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल जयपुर में पहुंचकर जमा की रसीद लेकर थाने पहुंचना, मालखाना को सुपुर्द करना, वजह सबूत को सुरक्षित व सील्ड हालात में रखना, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 46, 47 व 48 होने का अभिकथन किया है।

जिरह में इस सुझाव को गलत बताया कि उसने एतराज होने के बाद वजह

सबूत उसके पास ही रखा हो मालखाना में जमा न करवाया हो।

29 उपरोक्त विवेचित साक्ष्य के संदर्भ में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामद शव परिवादी के भाई बलजीत सिंह का ही है?

30 इस संबंध में परिवादी पी.ड. 1 जसवीर सिंह, गवाह पी.ड. 3 जोगासिंह, गवाह पी.ड. 8 राकेश, गवाह पी.ड. 16 गोरधन सिंह व अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 17 मदनलाल के अभिकथनानुसार दिनांक 24.06.2018 को रोही 11 बीएलएम में अभियुक्तगण की निशानदेही से खडढा खोदकर बलजीत सिंह की लाश बरामद हुई, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 3 है। लाश सड़ी गली अवस्था में थी और पहचानने योग्य नहीं थी। गवाह पीड. 2 डॉक्टर धर्मपाल के अभिकथनानुसार उसने डीकम्पोज शव का पोस्टमार्टम किया। मृतक के मौलर व प्रीमौलर दाईं तरफ के दांतों को बतौर डीएनए सैम्पल तथा लैफ्ट हयूमरस बॉन को आरसेनिक एवं एंटीमोनिक पोइजन के सैम्पल के रूप में लिया। गवाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 में मृत्यु के कारण विसरा की रासायनिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर बाद में बताए जाने का उल्लेख है। गवाह पी.ड 11 अमीलाल के अभिकथनानुसार मालखाना प्रभारी के रूप में उसे दिनांक 24.08.2018 को उसे मृतक के परिजन जसवीर सिंह व समरजीतसिंह के खून का सैम्पल मार्क डी, ई के दो पैकेट सौंपे गए, जिसे मालखाना रजिस्टर के उप क्रमांक 6 व 7 पर दर्ज किया गया। उसी प्रकार दिनांक 20.08.2018 को भी राजकीय चिकित्सालय घमूड़वाली से दो ब्लड सैम्पल मार्क बी व सी उसे प्राप्त हुए, जिसका मालखाना रजिस्टर में अंकन ई से एफ भाग में दर्ज किया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श् पी28 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इसके क्रमांक 277/71 के उपक्रमांक 4 व 5 में ई से एफ भाग में ब्लड सैम्पल जमा होने उप क्रमांक 6 व 7 में ब्लड सैम्पल मार्क डी व ई के दो पैकेट, जी से एच भाग में दर्ज होने का उल्लेख है। उक्त गवाह के कथनानुसार दिनांक 30-07-2018 को उसने नेकीराम एफसी को वजह सबूत सील्ड मार्क बी के संबंध में अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए रवाना किया, जो कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 28 के आई से जे भाग से स्पष्ट है। उपरोक्त रजिस्टर के ओ से पी भाग की प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि नेकीराम एफसी के द्वारा दिनांक 01-08-2018 को उक्त माल वजह सबूत मय अग्रेषण पत्र एफएसएल बीकानेर में जमा करवाकर रसीद मालखाना प्रभारी को सौंपी। गवाह के कथनानुसार दिनांक 20-08-2018 को उसने अशोक कुमार एफसी को वजह सबूत मार्क ए बी व सी जमा करवाने के लिए एफएसएल के लिए रवाना किया।एफएसएल का एतराज होने के कारण मार्क बी व सी को नष्ट कर दिया गया। दिनांक 27-08-2018 को वजह

सबूत मार्क ए डी व ई पुनः अशोक कुमार को अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए सौंपे। दिनांक 29–08–2018 को अशोक कुमार ने एफएसएल के एतराज से माल वापस उसे सौंपे दिनांक 29–08–2018 को अशोक कुमार एफसी को पुनः वजह सबूत मार्क ए डी व ई मय कागजात मय अग्रेषण पत्र एफएसएल में जमा करवाने के लिए रवाना किया, जो अशोक कुमार ने एफएसएल में जमा करवाकर दिनांक 31–08–2018 रसीद उसे सौंपी। गवाह के उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 28 में वाई से जेड भाग व वाई–1 व जेड–1 की प्रविष्टि से स्पष्ट होता है। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य की सम्पुष्टि गवाह पी.ड. 13 नेकीराम और गवाह पी.ड. 18 अशोक कुमार की साक्ष्य से हुई है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतक की विसरा जांच में कोई धात्विक विष नहीं पाया गया। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 27 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पैकेट मार्क ए जो मृतक के दाईं तरफ के मौलर व प्रीमौलर दांत का नमूना के डीएनए का मिलान पैकेट डी जो मृतक के भाई जसवीर सिंह के रक्त का नमूना था और पैकेट ई जो मृतक की बहन समरजीत कौर के रक्त का नमूना था, से करने पर मृतक जैविक रूप से जसवीर सिंह व समरजीत कौर का रिश्तेदार पाया गया। इसके अलावा गवाह पी.ड. 1 जसवीरसिंह, पी.ड. 3 जोगासिंह व पी.ड. 17 मदनलाल के अभिकथनानुसार घटनास्थल पर मृतक बलजीत सिंह के मोबाइल के जले हुए अंश पाए गए, जिनको प्रदर्श पी 9 के जरिए प्रस्तुत किया गया। नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 9 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि उसमें घटनास्थल पर जले हुए मोबाइल के अंशों का विद्यमान होना दिखाया गया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 8 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इसके जरिए जले हुए मोबाइल के अंश बरामद किए गए हैं। इस प्रकार खढडे से बरामद शव परिवादी पी.ड. 1 जसवीर सिंह, गवाह पी.ड. 5 सिमरजीत कौर के भाई बलजीत सिंह का होना साबित होता है।

31 अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या बलजीत सिंह की हत्या अभियुक्तगण के द्वारा की गई ?

32 इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश नहीं हुई है, जिन्होंने अभियुक्तगण को बलजीत सिंह की हत्या कारित करते हुए अथवा घटना के समय घटनास्थल पर अभियुक्तगण को देखा हो। अतः अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

33 अभियोजन साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन कहानी मुख्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों पर आधार हैः–

(A) **हेतुक (Motiv)**

मृतक की पत्नी अभियुक्ता मनजीत कौर का अभियुक्त मंगतसिंह के साथ अवैध संबंध में रहना।

(B) **अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत (Last seen Theory)**

घटना से पहले गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह के द्वारा मृतक को अभियुक्तगण के साथ देखाना जाना।

(C) **घटनास्थल के समय अभियुक्तगण का घटनास्थल पर मौजूदगी**

(i) Mobile location को प्रकट करने के लिए सीडीआर प्रदर्श पी 57, कैफ आई डी प्रदर्श पी 58, सीडीआर प्रदर्श पी 61, कैफ आई डी प्रदर्श पी 60, सीडीआर प्रदर्श पी 62,

34. AIR 1984 SUPREME COURT PAGE 1622 Sharad Biridhihand Sarda Vs. State of Maharashtra तथा कई प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयजन्म विधि की लम्बी श्रृंखला से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बाबत यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने पर निम्न शर्तें पूर्ण होने पर ही पूर्णतः स्थापित होना माना जा सकता हैः-

i. the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The circumstances concerned ' must or should' and not

' may be' established.

ii. the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the gulit of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypotheses except that the accused is guilty.

iii. the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

iv. they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

v. there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. Case law discussed.

35. अतः न्यायालय को यह देखना है कि क्या हस्तगत प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषी होने की परिस्थितियां पूर्णतः स्थापित होती है, जिसके आधार पर उन्हें दोषसिद्धि करार दिया जा सके?

(A)- हेतुक (Motiv)

इस संबंध में परिवादी जसवीर सिंह पी.ड. 1, गवाह पी.ड 3 जोगासिंह, गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह के अभिकथनानुसार अभियुक्ता मनजीत कौर मृतक बलजीतसिंह की पत्नी है। अभियुक्ता मनजीत कौर का अपने ननदोई अभियुक्त मंगतसिंह के साथ नाजायज संबंध थे। मंगतसिंह और मनजीत कौर करीब 7-8 सालों से इकटठे मोहनगढ की तरफ रह रहे थे। जबकि मृतक बलजीतसिंह अपनी बहन हरजिन्द्र कौर के साथ गांव 74 एलएनपी में 7-8 सालों से रह रहा था। इस प्रकार गवाहान के उपरोक्त कथनों से यह तो स्पष्ट है कि अभियुक्ता मनजीत कौर और अभियुक्त मंगत सिंह के साथ नाजायज संबंधों में रहती थी,परंतु इस संबंध में यह देखना आवश्यक है कि उपरोक्त नाजायज संबंधों की कोई आपत्ति मृतक बलजीत सिंह को थी या नहीं। इस संबंध में गवाह पी.ड. 1 जसवीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि बलजीत सिंह अपनी पत्नी मनजीत कौर को कई बार घर आ जाने के लिए समझाता था। गवाह पी.ड. 3 जोगासिंह जो मृतक बलजीत सिंह को अपना साला होना बताता है, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट अभिकथन किया है कि बलजीतसिंह ने मंगतसिंह के साथ रहने बाबत कभी मनजीत कौर को नहीं रोका। गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में केवल यह अभिकथन किया है कि बलजीत सिंह अपनी पत्नी को घर आ जाने के लिए समझाता था लेकिन वह नहीं मानती थी। उपरोक्त गवाहान की जिरह के कथनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि मृतक बलजीत सिंह ने कभी भी अपनी पत्नी मनजीत कौर अथवा बहनोई मंगतसिंह के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित साक्ष्य से यह सुस्पष्ट है कि मृतक बलजीतसिंह ने अपनी पत्नी अभियुक्ता मनजीत कौर को अपने साथ रहने के लिए कभी बाध्य नहीं किया। इस प्रकार अभियुक्त मंगतसिंह और अभियुक्ता मंजीतकौर को मृतक

बलजीतसिंह से किसी प्रकार का कोई खतरा होना प्रकट नहीं था। अतः ऐसे में अभियुक्तगण द्वारा बलजीतसिंह की हत्या कारित किए जाने का कोई हेतुक प्रकट नहीं होता है।

(B) अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत (Last seen Theory)

(i) घटना से पहले गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह के द्वारा मृतक को अभियुक्तगण के साथ देखा जाना।

36 इस संबंध में गवाह पी.ड. 1 जसवीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में केवल यह अभिकथन किया है कि दिनांक 26-05-2018 को बलजीतसिंह ने अपनी हरजिन्द्र कौर को फोन कर बताया कि वह श्रीगंगानगर जा रहा है और उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। गवाह पी.ड. 3 जोगासिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब डेढ साल पहले मनजीत कौर ने बलजीत सिंह को फोन करके मोहनगढ से सामान लेकर आने के लिए रिडमलसर बुलाया, जिस पर बलजीत सिंह रिडमलसर गया। वहां दोनों बस में बैठकर 32 एमएल गए, जहां से सुथारमंडी वाली बस में बैठ गए। इस गवाह को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी कैसे हुई यह गवाह ने स्पष्ट नहीं किया है। यद्यपि जिरह में गवाह बताता है कि बलजीत सिंह के घर से चले जाने के बाद उसका फोन करीब 11 साढे 11 बजे उसकी पत्नी के पास आया था। इस संबंध में गवाह पी.ड. 5 सिरमजीत कौर, जो कि गवाह पी.ड. 3 जोगासिंह की पत्नी है, ने अपने अभिकथनों में अपने भाई बलजीतसिंह के द्वारा उसे फोन करने का कोई अभिकथन नहीं किया है। इस प्रकार उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य संदिग्ध और अविश्वसनीय प्रकट होती है। अंतिम बार देखे जाने के संबंध में गवाह पी.ड. 4 दर्शनसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि करीब डेढ साल पहले बलजीत सिंह ने उसे रिडमलसर बुलाया और बताया कि मनजीत कौर उसे जबरदस्ती ले जा रही है। मनजीत कौर बता रही थी कि मोहनगढ से सामान लेने जाना है और मनजीत कौर बलजीत सिंह को बस में चढाकर साथ लेकर मोहनगढ चली गई,परंतु जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसने उपरोक्त घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी और ना ही बलजीतसिंह के नहीं लौटने पर वे उसकी तलाश करने मोहनगढ गए। यह गवाह मृतक बलजीतसिंह को अपने मामा का लड़का भाई होना बताता है। बलजीत सिंह के नहीं मिलने पर उसे रिश्तेदारी में तलाश करना भी बताता है, परंतु उसे मोहनगढ जाकर तलाश नहीं किया जाना स्वीकार करता है। इस प्रकार उपरोक्त गवाह की साक्ष्य संदिग्ध अविश्वसनीय और बनावटी प्रकट होती है। इस प्रकार उपरोक्त गवाह द्वारा अभियुक्तगण को मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने का तथ्य साबित नहीं होता है।

(c) बरामदगियां और घटनास्थल के समय अभियुक्तगण का घटनास्थल पर मौजूदगी।

(i) शव बरामद प्रदर्श पी 3 ।

37 बरामदगी के संबंध में विद्वान अपर लोक अभियोजन का यह तर्क रहा है कि मृतक के शव की बरामदगी अभियुक्तगण के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई साक्ष्य के अनुसरण में उनकी निशानदेही से रोही 11 बीएलएम में अजय बिश्नोई के खेत में खडडा खोदकर के की गई है। यद्यपि इस संबंध में गवाह पी.ड. 1 जसवीर सिंह, पी.ड. 3 जोगासिंह, गवाह पी.ड. 6 आधुराम, पी.ड. 8 राकेश, पी.ड. 16 गोरधन सिंह ने अभियुक्तगण द्वारा अपनी निशानदेही से रोही 11 बीएलएम में खडडे से लाश बरामद किया जाना बताया है। गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि शव की बरामदगी खुले स्थान से हुई है, जहां कोई भी व्यक्ति सुगमता पूर्वक, बिना रोक–टोक आ जा सकता है। शव बरामदगी स्थल अजय बिश्नोई नामक व्यक्ति का खेत होना बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अजय बिश्नोई को बतौर गवाह पेश नहीं किया गया है। लाश बरामदगी स्थल अभियुक्तगण के कब्जे में होने के संबंध में कोई सुदृढ और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। ऐसे में अभियुक्तगण की निशानदेही से लाश के बरामद होने का तथ्य अविश्वनीय और संदिग्ध प्रकट होता है।

(ii) Mobile location को प्रकट करने के लिए सीडीआर प्रदर्श पी 57, कैफ आई डी प्रदर्श पी 58, सीडीआर प्रदर्श पी 61, कैफ आई डी प्रदर्श पी 60, सीडीआर प्रदर्श पी 62।

38 अभियोजन पक्ष की ओर से घटनास्थल पर मृतक बलजीत सिंह और अभियुक्तगण की मौजूदगी के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य मृतक बलजीत सिंह के मोबाइल नम्बर 8503071074 की प्रमाणित सीडीआर प्रदर्श पी 57, कैफ आईडी प्रदर्श् पी 58 पेश की है। कैफ आई डी प्रदर्श पी 58 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मोबाइल नम्बर 8503071074 मृतक बलजीत सिंह के ही नम्बर है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त मंगतसिंह के मोबाइल नम्बर 8003049947 की सीडीआर प्रदर्श् पी 62 व अभियुक्ता मनजीत कौर के मोबाइल नम्बर 9660076326 की प्रमाणित सीडीआर प्रदर्श पी 61 और कैफ आईडी प्रदर्श पी 60 के रूप में पेश किया है। कैफ आईडी प्रदर्श पी 60 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मोबाइल नम्बर 8003049947 की सिम अजय पाल पुत्र मुरलीघर और मोबाइल नम्बर 9660076326 प्यारा पुत्र श्री सुबासिंह के नाम से जारी है।

अर्थात उपरोक्त दोनों ही मोबाइल नम्बर अभियुक्तगण के नाम से जारी नहीं है। उपरोक्त दोनों नम्बरों की सिम अभियुक्तगण के कब्जे में साबित करने के प्रयोजन से अभियोजन पक्ष की ओर से सिम धारक अजयपाल पुत्र श्री मुरलीघर और प्यारा पुत्र श्री सुबासिंह को पेश नहीं किया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण के कब्जे से कोई मोबाइल और उपरोक्त बताए गए नम्बर की कोई सिम भी बरामद नहीं की गई है। अतः ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सीडीआर प्रदर्श पी 57, 61 व 62 से अभियुक्तगण का मृतक बलजीतसिंह के साथ घटना के समय घटनास्थल पर साथ होने का तथ्य साबित नहीं होता है।

39 इसके अलावा यहां यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अभियोजन गवाहान के अनुसार मृतक बलजीत सिंह दिनांक 26-05-2018 को अपनी बहन हरजिन्द्र कौर को श्रीगंगानगर जाने का कहकर गया जो वापस नहीं लौटा। गवाह पी.ड. 5 सिमरजीत कौर के अभिकथनानुसार अभियुक्तगण की दिनांक 27.05.2018 को उसके घर आकर यह स्वीकार किया कि उन्होंने बलजीत सिंह की हत्या कर दी। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाह को दिनांक 7.05.2018 को ही यह पता चल गया था कि अभियुक्तगण ने बलजीतसिंह की हत्या की है फिर भी उसके द्वारा पुलिस में कोई सूचना नहीं दिया जाना अभियोजन कहानी को गंभीर संदेहास्पद बनाता है। परिवादी द्वारा तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दिनांक 22-06-2018 को करीब 26 दिन के पश्चात विलम्ब से थाने में पेश की गई है, जिसके आधार पर चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 2 दर्ज हुई है। एफआईआर के विलम्ब से दर्ज किए जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई सुदृढ और समाधानप्रद कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

40 इस प्रकार उपरोक्त विवेचित साक्ष्य से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 26.05.2018 को रिडमलसर से शाम के किसी समय बलजीत सिंह का जबरदस्ती अपहरण कर दिनांक 27.05.2028 को रात्रि के किसी समय मोहनगढ में बलजीत सिंह का साशय गला दबाकर मृत्यु कारित करने तथा बलजीत सिंह के शव को गडढा खोदकर दबाने तथा दिनांक 26.05.2018 से 27.05.2018 को आपसी सहमति द्वारा बलजीत सिंह की हत्या कारित करने के इकरार कर उस आपसी सहमति के अनुसरण में बलजीत सिंह की गला दबाकर हत्या कारित की हो।

आदेश

41. अतः अभियुक्तगण (1.) मंगत सिंह पुत्र श्री प्यारासिंह उम्र 62 साल, निवासी 74 एलएनपी, पुलिस थाना घमूड़वाली, जिला श्रीगंगानगर व (2.) मनजीत कौर पत्नी श्री बलजीत सिंह, उम्र 46 साल, निवासी 74 एल.एन.पी, पुलिस थाना घमूड़वाली, जिला श्रीगंगानगर को अपराध अंतर्गत धारा 302, 364, 201, 120 बी भारतीय दंड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

42. मुलजिमान को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत धारा 437(ए) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह की अवधि के लिए 20,000/-रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश करे।

43. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(श्याम कुमार व्यास)

44. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम कुमार व्यास)